क्रम संख्या–157 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 27 दिसम्बर 2017 ई0

पौष 06, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 547/XXXVI (3)/2017/94(1)/2017

देहरादून, 27 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विनियोग (2017–18 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2017'** पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2017–18 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2017)

31 मार्च, 2018 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये ।

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम

1– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2017–2018 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2017 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2017–18 के लिये रु0 30157381000 का दिया जाना

2– ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 30157381000(रुपया तीन हजार पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
01–	विधान सभा	राजस्व	67300	800	68100
		पूँजी	100000	0	100000
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	1160	1160
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद	राजस्व	206399	0	206399
		पूँजी	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	111774	34000	145774
		पूँजी	0	0	0
05–	निर्वाचन	राजस्व	5500	0	5500
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	195240	0	195240
		पूँजी	205000	0	205000
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	6869459	5000	6874459
		पूँजी	50000	0	50000
08–	आबकारी	राजस्व	23700	0	23700
		पूँजी	0	0	0
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	60000	6000	66000
		पूँजी	0	0	0
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	1569848	0	1569848
		पूँजी	0	0	0
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	2788605	0	2788605
		पूँजी	350000	0	350000
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1518817	0	1518817
		पूँजी	226985	0	226985
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	1037202	0	1037202
		पूँजी	1881898	0	1881898
14–	सूचना	राजस्व	255	0	255
		पूँजी	70666	0	70666
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	1217793	0	1217793
		पूँजी	0	0	0
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	483220	0	483220
		पूँजी	0	0	0

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	1927986	0	1927986
		पूँजी	50000	0	50000
18–	सहकारिता	राजस्व	246637	0	246637
		पूँजी	0	0	0
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	371266	0	371266
		पूँजी	2106591	0	2106591
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	35405	0	35405
		पूँजी	72000	0	72000
21–	ऊर्जा	राजस्व	10085	0	10085
		पूँजी	130000	0	130000
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	133300	0	133300
		पूँजी	1250000	0	1250000
23–	उद्योग	राजस्व	241550	0	241550
		पूँजी	109127	0	109127
24–	परिवहन	राजस्व	70763	0	70763
		पूँजी	1201800	0	1201800
25–	खाद्य	राजस्व	33485	0	33485
		पूँजी	10000	0	10000
26–	पर्यटन	राजस्व	178643	0	178643
		पूँजी	10000	0	10000
27–	वन	राजस्व	120996	0	120996
		पूँजी	0	0	0
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	103292	0	103292
		पूँजी	5000	0	5000
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	158224	0	158224
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	1489436	0	1489436
		पूँजी	429900	0	429900
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	378174	0	378174
		पूँजी	197100	0	197100
	योग–	राजस्व	21654354	46960	21701314
		पूँजी	8456067	0	8456067
	महायोग		30110421	46960	30157381

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 सपठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य विधान सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रस्तावित विधेयक यह उपबन्धित करता है कि वित्तीय वर्ष 2017–2018 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदान मांगों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से किया जा सके।

प्रकाश पन्त
वित्तमंत्री